UPGK010053262026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2366/2026

पन्नेलाल पुत्र संतलाल, उम्र 22 वर्ष
निवासी–ग्राम लक्ष्मीपुर प्रथम, थाना कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–259/2026
धारा–191(2),191(3),115(2),109(1),352,351(3) भारतीय न्याय सं०
थाना–कैंपियरगंज, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त पन्नेलाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–259/2026, धारा–191(2),191(3),115(2),109(1),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा धर्मदेव पुत्र बंधु निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर प्रथम, थाना–कैंपियरगंज, जनपद–गोरखपुर दिनांक 22.05.2026 को रात 9.00 बजे के करीब मेरे गांव के रहने वाले संतलाल पुत्र लौटू, बेनुल पुत्र लौटू, मन्तालाल पुत्र लौटू देवा पुत्र लौटू, बसंत पुत्र लौटू, पन्ने लाल पुत्र संतलाल, शोभा पत्नी बद्री, दुर्गावती पत्नी बसंत एक राय होकर पुराने रंजिशवश मुझे व मेरे चाचा राकेश, चाची राजपति, चाची सुधा चचेरे भाई सरबजीत, मां कौशल्या, चचेरा भाई बृजेश को धारदार हथियार जैसे राड, सब्बल, खन्ती, राड, चाकू से हमला कर दिए जिससे राकेश, सुधा, राजपति मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े इसके बावजूद भी विपक्षीगण हम सभी मजरुबगण को जान से मारने की नीयत से लगातार वार करते रहे जिससे राकेश, सुधा, राजपति मरणासन्न की स्थिति में चले गए। शोर गुल सुनकर आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए विपक्षी गण गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना देने पर एंबुलेंस से पीएचसी कंपियरगंज पर सभी चोटईल लोग को ले जाया गया जहां से आगे के इलाज के लिए मजरूबगण को रेफर कर दिया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा दिनांक 22.05.2026 की रात 9.00 के करीब एक राय होकर पुराने रंजिशवश कोई घटना कारित नहीं की गई है। वादी मुकदमा के घर के उपरोक्त थाने पर होमगार्ड हैं जिनके द्वारा कहानी को रूप दिया गया है। असलियत यह है कि दिनांक

22.05.2026 को रात्रि 8.00 बजे पुरानी जमीनी रंजिश विवाद को लेकर वादी मुकदमा व उसके घर वाले धर्मजीत, समरजीत पुत्रगण श्यामा, धर्मदेव पुत्र बंधु, दुर्गेश पुत्र राकेश व अन्य कई लोग प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़कर मन्तराम, बेनुल को लाठी, डंडा, सरिया से गाली गुप्ता देते हुए बुरी तरह मारे पीटे जिससे मन्तराम व बेनुल तथा पुष्पा देवी को गंभीर चोटें आई थी जिस पर श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा वादी मुकदमा व उसके घर के अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 268/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० में उपरोक्त थाने पर अभियोग दर्ज हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 268/26 की वादिनी मुकदमा पुष्पा देवी को स्वयं गंभीर चोटे आई हैं जो पी०एच०सी० कैम्पियरगंज, गोरखपुर से रेफर होकर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है जहां बेनुल व मन्तलाल की हालत गंभीर बनी हुई है। आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में कत्तई कोई संलिप्तता नहीं रही है बल्कि साजिश के तहत प्रार्थी ने पूरे परिवार को नामित किया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसके द्वारा घटना को रूप दिया गया है। इन समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ एकराय होकर वादी एवं उसके परिवारीजन को जान से मारने की नीयत से उनपर धारदार हथियार जैसे राड, सब्बल, खन्ती, राड, चाकू से हमला करके प्राणघातक उपहतियां कारित की गयी है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ एकराय होकर वादी एवं उसके परिवारीजन को जान से मारने की नीयत से उनपर धारदार हथियार जैसे राड, सब्बल, खन्ती, राड, चाकू से हमला करके प्राणघातक उपहतियां कारित अभिकथन है। मजरूबा कौशिल्या देवी के आघात आख्या में उसे कुल 02 चोटें आना उल्लिखित है। मजरूब धर्मदेव की आघात आख्या में उसे कुल 04 चोटें आना उल्लिखित है तथा धर्मदेवी को आयी सभी चोटें साधारण प्रकृित की होना अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सभी मजरूबगण को आयी चोटें हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट के द्वारा पहुंचाये जाना उल्लिखित है। जमानत प्रार्थनापत्र के कथनानुसार उक्त मुकदमे का क्रास केश मुकदमा अपराध संख्या 268/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० में उपरोक्त थाने में दर्ज होना कहा गया है। इस प्रकार क्रास केस के अभिकथन तथा उभय पक्ष के तर्क को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर यह अवधारित किया जाना समीचीन नहीं है कि घटना में कौन–सा पक्ष अग्रसर अथवा आक्रामक रहा है। मामला अभी विवेचनाधीन है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त

को दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त पन्नेलाल द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 08.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 15:18:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court